

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना)

संचिका सं०- 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय- 30/2022.2269...पटना, दिनांक :- 20/03/2023

आदेश

दिनांक 14.12.2022 को निदेशालय मुख्यालय स्तर से शिविर-लखीसराय- 01 एवं 02 का विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा जूम बैठक के माध्यम से किया गया है। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पिन्दु कुमार (Emp.ID- SKN00723), लखीसराय-01 तथा मो० अर्शी जमाल (Emp.ID- SKN00605) लखीसराय-02, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के आवंटित शिविर का प्रदर्शन असंतोषजनक है। चूंकि दिनांक 14.12.2022 को इनके पूर्ण खानापुरी मौजो की संख्या 05 थी। दिनांक 31.12.2022 तक 05 और अतिरिक्त ग्रामों की खानापुरी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु 56 दिन बीत जाने के बाद भी मात्र 01 ग्राम की खानापुरी और पूर्ण हो सकी है, जो अत्यन्त ही निराशाजनक प्रदर्शन है।

उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि इन दोनों संविदा कर्मियों द्वारा सर्वेक्षण कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही बरती जा रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में उक्त दोनों संविदा कर्मियों के कार्यों में प्रगति लाने के दृष्टिगत इन्हें दण्डस्वरूप वर्तमान माह के मानदेय में से 15 (पन्द्रह) दिनों के मानदेय की कटौती की जाती है तथा भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है कि पुनरावृत्ति होने की स्थिति में नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय- 30/2022.2269...पटना, दिनांक :- 20/03/2023
प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय- 30/2022.2269...पटना, दिनांक :- 20/03/2023
प्रतिलिपि : श्री पिन्दु कुमार (Emp.ID- SKN00723), लखीसराय-01 तथा मो० अर्शी जमाल (Emp.ID- SKN00605) लखीसराय-02, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय- 30/2022.2269...पटना, दिनांक : 20/03/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मों का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण